


कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1393/XVIII(1)/2017-03(3)/2014टी0सी-1, दिनांक 27.10.2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2063/सात-भूलेख, दिनांक 26.12.2017 से चयनित अभ्यर्थियों में से (01) प्रमिला राणा पुत्री अवतार सिंह राणा द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2018 से प्रशिक्षण में शामिल न होने एवं (02) योगिता थपलियाल पुत्री दिगम्बर प्रसाद थपलियाल द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों का मिलान एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण उक्त दोनों अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश दिनांक 31.01.2018 द्वारा अन्तिम रूप से निरस्त किया गया है।


अपर जिलाधिकारी (प्र०)
हरिद्वार। 